SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, PMGSY RES Div-PWD, Kranprayg for diversion under FCA-1980) of 1.129 ha of forest land non-forestry purpose The project envisages the use of forest land for construction of Nagan Goan to Kursil Motor Road under PMGSY 10.375 kms. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated ..28.11.2014.......

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RE/PF/un-classed/Protect forest measuring 1.129 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col 2 part-1 is unavoidable and is minimum required for the project

Whether any rare/ endangered/unique species of flora and fauna found in the area, if, so the detail there of:-

Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC form competent authority, if required.

The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per Para 19 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached

specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal Recomonded for Sanction

Place : ...Barkot...

Date : ...28-11-14

Signature

Name.......(डी० के० सिंह).......

प्रभारीय वनाधिकारी

Designation.....................

Office Seal अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट

NB

x. state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted

xx. out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which in not applicable

As per letter 2-2/2000 FC dated 16102000 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving leases then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCP is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation forests is required

परियोजना का नाम :—नगांण गांव से कुर्सिल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दि0 12-05-2013 को नगाण गांव से कुर्सिल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.375 कि0मी0 का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें वन विभाग की ओर से वन दरोगा श्री .... तथा वन रक्षक श्री गुरु प्रसाद डिमरी बीट राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय पटवारी तथा याचक विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता,कनिष्ठ अभियन्ता एंव अमीन पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी उपस्थित थे।

प्रश्नगत मोटर मार्ग मे विभिन्न प्रजाति के 172 वृक्ष तथा कुल 1.129 है0 वन आरक्षित एंव सिविल भूमि प्रभावित होगी।

JE

अमीन

प0प0

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

क्षेत्राधिकारी
र रेंज-गंगाणी

रावत
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक को विश्व बैंक की सहायता से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–XI के अर्न्तगत प्रस्तावित नग गांव से कुर्सिल मोटर मार्ग के प्रस्तावित मार्ग के समरेखण पर किया गया । समरेखण पूर्व निर्मित खरादी से नगॉणगाव मो मार्ग के कि0मी0 4.575 से प्रारम्भ होता है । संयुक्त निरीक्षण हेतु सिंचाई खण्ड के कनिष्ठ अभियन्ता वन विभ के एव राजस्व विभाग के तथा मार्ग निर्माण से होने वाली ग्राम सभा कुर्सिल के जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीण उपस्थि थे।

सिंचाई खण्ड (लोक निर्माण विभाग) द्वारा सभी उपस्थित ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियो की विस्तृत जानकारी दी गयी मो मार्ग पूर्व निर्मित खरादी से नगॉणगाव मोटर मार्ग के कि0मी0 4.575 से प्रारम्भ होता कुर्सिल ग्राम सभा में समाप्त हुआ। इस मा की कुल लम्बाई 10.375 कि0मी0 है तथा इस मार्ग के निर्माण में आठ एच0पी0 बैंड है। मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली विभि प्रकार की भूमि का वार विवरण निम्न प्रकार से है।

कि0मी0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ल0 योग
आरक्षित वनभूमि मी0 में	0	0	0	0	0	0	733	0	0	0	0	733
सिविल सोयम वनभूमि की लम्बाई मी0 में	150	0	0	~~430~~	~~300~~	0	0	0	0	0	0	880
नाप भूमि की लम्बाई मी0 में	850	1000	1000	570	700	1000	267	1000	1000	1000	375	8762
योग	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	375	10375

आबादी वाले भागों में आवश्यक वायरक्रेट ,रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्टवॉल एवं पक्की नाली का प्राविधान करने की बात पर विभाग द्वार सहमति व्यक्त की गयी । अन्त में ग्राम सभा सिराना के जनप्रतिनिधियों/ जनता द्वारा मार्ग निर्माण हेतु तत्काल कार्य करने हेतु विभाग से निवेदन व्यक्त किया गया।

निरीक्षण के समय स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा मार्ग निर्माण के प्रति अत्यधिक उत्साह दिखाया गया। सभी लोग मार्ग निर्माण क कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कराने के इच्छुक थे। ग्रामवासियों द्वारा मार्ग के निर्माण के समय पहाड़ कटान के मलबे से मकानों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु मलबा डिस्पोजल कार्य , सुरक्षात्मक कार्य हेतु ब्रेस्ट वॉल का निर्माण करने हेतु विभाग, द्वारा सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन ग्राम वासियों को दिया गया ।

मोटर मार्ग निर्माण से मार्ग के विभिन्न स्थानों पर शासकीय /निजी परिसम्पत्ति के रूप में कुछ मकानों के भी क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है, जिनकी या तो मरम्मत करनी पड़ेगी अथवा पुनः निर्माण करना पड़ेगा , जिसको विभागीय प्रतिकर प्रस्ताव मे शामिल कर लिया जायेगा।

मार्ग पर स्थित गांव की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	गांव का नाम	जनसंख्या	कि0मी0
1	Syalab	519	
2	Kursil	430	

निरीक्षण हेतु उपलब्ध ग्राम वासियों द्वारा अपने मकानों तथा खेतों की पर्याप्त सुरक्षा करने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया जिस पर विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आवश्यकतानुसार मकानों तथा खेतों की सुरक्षा का प्रावधान विस्तृत डी0पी0आर0 में कर दिया जायेगा । ग्राम वासियों को विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मार्ग निर्माण के पश्चात मार्ग के दोनो ओर पर्यावरण संतुलन तथा भूस्खलन को रोकने के हेतु पर्याप्त संख्या में पेड़ लगाये जायेगें।

निरीक्षण के समय ग्रामवासियों द्वारा मार्ग के समरेखण में आने वाली अपनी निजी भूमि के मुआवजे का भी प्रश्न उठाया गया जिस पर विभाग द्वारा उन्हें यह अवगत कराया गया के वर्तमान प्रचलित सर्किल दरों के आधार पर अर्जित भूमि का प्रतिकर सम्बन्धित कास्तकार को प्रारम्भ होने से पूर्व कर दिया जायेगा।ग्रामवासिययों द्वारा मार्ग निर्माण के समय आबादी क्षेत्र में पक्की नाली का निर्माण करने का भी मॉग की गई जिसके आधार पर डी0पी0आर0 में पक्की नाली का प्रावधान करने का आश्वासन ग्रामवासियों को दिया गया।

इस मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान निजी 179 वृक्ष भी प्रभावित होगें। सभी ग्रामवासी तथा जनप्रतिनिधिगण उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग के पहाड़ कटान, सुरक्षात्मक कार्य एवं जलनिकासी कार्य के प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत थे तथा सभी उपस्थित व्यक्तियों ने मार्ग निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का भूमि विवाद या अन्य कोइ विवाद न आने देने तथा विभागों का पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह0/–
(राजस्व विभाग प्रतिनिधि)

ह0/–
(वन विभाग प्रतिनिधि)